तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियलस अफसर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.2.22	पत्रावली पेश हुई। आज पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस में वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा प०ह० चांदरास त० मांडल में आ०न० 1836/1 रकबा 1.4796 हैक्टर आ०न० 1837/1 रकबा 0.0225 है०, आ०न० 1837/2 रकबा 0.0126 है० कुल कीता 3 कुल रकबा 4.5147 है० वर्तमान रिकॉर्ड में प्रार्थीगण व विपक्षी सं० 1 लगायत 03 की माता संतोकबाई पत्नि सुखदेव व बडीमाता/भाभी सोहनबाई पत्नि नारायण के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इनमें से सोहनबाई ला औलाद फौत हो चुकी है इसी प्रकार संतोकबाई भी फौत हो चुकी है। प्रार्थीगण व विपक्षी सं० 1 लगायत 03 मृतक संतोकबाई के प्रथम श्रेणी के वारिस होकर प्रत्येक का 1/5 हिस्सा वादवर्णित आराजीयात में निहीत है। वादवर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 02 व 03 की संयुक्त कब्जे की होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। आराजीयात संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपदा है जिसका आज दिन तक विभाजन नहीं हुआ है। आराजीयात पुश्तैनी होने से विपक्षीगण को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है न ही इन आराजीयात को बिना विधिक अधिकारों के रहन बय करने का अधिकार है। प्रथम दृष्टया प्रकरण हमारे पक्ष में है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे। बहस में वकील अप्रार्थी सं० 1 व 2 ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण सं० 1 में वर्णित आ०न० 1836/1, 1837/1, 1837/2 रकबा 4.5147 है० पुश्तैनी भूमि नहीं होकर विपक्षी सं० 1 की पत्नि संतोकबाई व विपक्षी सं० 2 की बडी माता सोहनीबाई की उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

भागूती बनाम सुखदेव (प्रार्थनापत्र 01/2021) धारा 212 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय दस्तखत हाकिम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खरीदशुदा भूमि है। विक्रय पत्र की छाया प्रति पत्रावली में पेश की है। इसी प्रकार दिनांक 01-11-2012 को संतोक पत्नि सुखदेव शर्मा ने व सोहनबाई पत्नि नारायण ने अलग-2 वसीयतनामे ओमप्रकाश पिता सुखदेव के नाम पंजीबद्ध करए हैं जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त है क्योंकि आराजीयात उनकी स्वअर्जित है। इनमें से सोहनबाई लाऔलाद फौत हो चुकी है तथा संतोकबाई भी फौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विपक्षी ओमप्रकाश पिता सुखदेव ब्राह्मण उक्त पंजीबद्ध वसीयतनामे के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में आराजीयात अपने नाम पर दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थीगण का वादवर्णित आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण ने आराजीयात में अपना स्वामित्व सिद्ध नहीं कराया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रार्थनापत्र के निर्णय में तीन बिन्दुओं को निर्धारण आवश्यक है। 1- प्रथम दृष्टया प्रकरण 2- सुविधा संतुलन 3- अपूरणीयक्षति। अतः बिन्दुवार निर्णय निम्नानुसार है- 1- <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u>:- वादवर्णित आराजीयात ग्राम मंगलपुरा प०ह० चांदरास में स्थित होकर नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 77 में आ०न० 1836/1 रकबा 1.4796 है०, आ०न० 1837/1 रकबा 3.0225 है०, आ०न० 1837/2 रकबा 0.0126 कीता 3 रकबा 4.5147 है० संतोकबाई पत्नि सुखदेव 1/2 ब्राह्मण व सोहनबाई	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भील...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो ... हुक्म की तामील में जारी हुए
	[illegible] 1/2 [illegible] साथ देह खातेदार दर्ज है। पत्नि नारायण 1/2 [illegible] अनुसार मुख्य पुरुष प्रार्थनापत्र में [illegible] गणेशजी के जिनके दो पुत्र नारायण व सुखदेव हुऐ इनमे नारायण फौत हो चुका है। नारायण की पत्नि सोहनबाई व सुखदेव की पत्नि संतोकबाई है। सोहनबाई लावल्द फौत हो चुकी है तथा संतोकबाई भी फौत हो चुकी है। संतोकबाई का पति सुखदेव जीवित है इनके 2 पुत्र शांतिलाल व ओमप्रकाश तथा 3 पुत्रियां भंवरी, मारुती व कैलाशी है। अप्रार्थी ने सजरे को गलत नहीं बताया है। अप्रार्थी ने आराजीयात स्व० संतोकबाई व सोहनबाई की खरीदशुदा है जिसकी पुष्टि दिनांक 21-5-2004 के पंजीबद्ध विक्रय पत्र जो नाथबाई पत्नि चुन्नीलाल महाजन नि० चान्दरास ने सोहनबाई के पक्ष में निष्पादित किया जिसमें आ०नं० 1836 मीन रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा में से 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि बेचान की इसी प्रकार प्रेमबाई जोजे हरकलाल महाजन नि० चांदरास ने सोहनबाई पत्नि नारायण व संतोक ~~बाई~~ पत्नि सुखदेव ब्राह्मण के पक्ष में निष्पादित किया जिसमें आ०नं० 1837 मीन रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा में से 12 बीघा भूमि बेचान करने का अंकन है अर्थात सोहनबाई व संतोक ~~बाई~~ ने 1/2 1/2 हक से भूमि क्रय किया जाना सिद्ध होता है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजी नं० 1836/1, 1837/1, 1837/2 कुल रकबा 4.5147 हैक्टर भूमि सोहनबाई व संतोक की स्वअर्जित भूमि है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमियां गणेशजी की खातेदारी की होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण किसी तरह सिद्ध नहीं होता है। 2- सुविधा संतुलन :- प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को दिया जाना उचित नही है क्योंकि आधीपत्य पैतृक नही है। 3- अपूरणीय क्षति:- प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के विरुद्ध होने से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किए जाने पर प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति नही होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थनापत्र मूलवाद के साथ संलग्न करे। [signature] उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	